<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०, सन्त कबीर नगर ।</u>

पीठासीन अधिकारी– (निधी मिश्रा)– उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04614

मु०न०–3790/2024
राज्य बनाम राजेश पाण्डेय आदि।

अ०सं०–23/2023
धारा– 498A, 323, 504, 506 IPC **व** 3/4 D.P. Act.
थाना– महिला थाना, जनपद–सन्त कबीर नगर।

<u>आरोप</u>

<u>दिनांकः 07.08.2026</u>

मैं **निधी मिश्रा, सिविल जज(जू०डि०),एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०,** सन्त कबीर नगर, आप **अभियुक्तगण राजेश पाण्डेय, इन्द्रमणि व ममता** को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ–

प्रथम– यह कि **दिनांक 19.01.2023 व समय 13.00 बजे, स्थान बहदग्राम मुड़िला उर्फ मुंडेरवा, थाना गुलरिहा व जनपद गोरखपुर** में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा रूबी, जो कि अभियुक्त राजेश पाण्डेय की विवाहिता पत्नी है, को दहेज के लिये उत्पीड़ित व प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता किया और तद्द्वारा आप लोगों ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498A** के अधीन एक दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय, – यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा रूबी को मार–पीट कर साधारण उपहति कारित की और तद्द्वारा आप लोगों ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय, – यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा रूबी को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया है और तद्द्वारा आप लोगों ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा रूबी को शरीर या ख्याति क्षति करने की साशय धमकी दी है और उसे संत्रास कारित किया है और तद्द्वारा आप लोगों ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम–यह कि आप लोगों ने उपरोक्त वर्णित तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा रूबी से अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया गाड़ी व ससुराल के लोगों के लिये सोने की चेन की मांग किया और तद्द्वारा आप लोगों ने **दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक– 07.08.2026

(निधी मिश्रा)
सिविल जज(जू०डि०),एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०,
सन्त कबीर नगर।

उक्त आरोपों को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया और समझाया गया जिससे उन्होंने इनकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक– 07.08.2026

(निधी मिश्रा)
सिविल जज(जू०डि०),एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०,
सन्त कबीर नगर।
J.O.Code — UP04614

Digitally signed by Nidhi Mishra
Date: 2026.08.07 15:51:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court